राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

भाद्र 19, बुधवार, शाके 1936–सितम्बर 10, 2014
Bhadra 19, Wednesday, Saka 1936–September 10, 2014

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (सदस्यों को भत्ते का संदाय) विनियम, 2014

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 92 के साथ पठित उसकी धारा 4 तथा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

1– **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–**

(1) इन विनिमयों का नाम जोधपुर विकास प्राधिकरण (सदस्यों को भत्ते का संदाय) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2– **परिभाषायें:**– जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

(1) ''अधिनियम'' से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) से अभिप्रेत हैं।

(2) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम के अधीन यथागठित जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अभिप्रेत है।

(3) ''समिति'' से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है, जिसमें धारा 7 के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति भी सम्मिलित है।

(4) ''कृत्यकारी बोर्ड'' से सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन यथागठित कृत्यकारी बोर्ड अभिप्रेत है जिसमें धारा 13 के अन्तर्गत गठित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड भी सम्मिलित है।

(5) ''सदस्य'' से जोधपुर विकास प्राधिकरण, कृत्यकारी बोर्ड तथा/या जोधपुर विकास प्राधिकरण को किसी समिति का सदस्य अभिप्रेत है।

3– **भत्तों का संदाय:** प्राधिकरण, कृत्यकारी बोर्ड तथा/या समिति की बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्य को निम्नलिखित दरों पर भत्ते संदत्त किये जाएंगे:–

(1) **शासकीय सदस्य:**– सवारी भत्ता, प्रतिदिन 50/– रुपये

(2) **अशासकीय सदस्य:**– बैठकों में प्रति बैठक फीस 50/– रुपये, इसके अतिरिक्त सवारी भत्ता 50/– रुपये प्रतिदिन'

परन्तु वे सदस्य जिनसे जोधपुर रीजन से बाहर से आने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें शासकीय सदस्यों की दशा में प्राधिकरण या सरकार की दरों के अनुसार यात्रा भत्ता संदत्त किया जावेगा और अशासकीय सदस्यों को रेल में प्रथम श्रेणी से तथा बस से यात्रा के वास्तविक व्यय और बैठक या बैठकों में उपस्थित रहने के लिए आवश्यक विराम के दिन प्रतिदिन 50/– रुपये का दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसमें कि उपरोक्त बैठक फीस व सवारी भत्ता सम्मिलित माने जायेंगे।

The Jodhpur Development Authority (Custody and Disposal of Seized Articles) Regulation, 2014

In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 92 read with Sub sanction (4) **of section 67 & Sub-section of (5) section 33 of the Jodhpur Development Authority Act. 2009**